




राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
रायपुर, छत्तीसगढ़



क्र.3109/मि.सं./रा.स्व.भा.मि/पं.ग्रा.वि.वि/2019,
प्रति,

रायपुर, दिनांक 22/03/2019

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत दुर्ग, छत्तीसगढ़


विषय :- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत सी.एल.टी.एस. सहजकर्ताओं/स्वभाविक नेताओं को प्रोत्साहन राशि प्रदाय करने के संबंध में मार्गदर्शन।

संदर्भ :- अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दुर्ग का पत्र क्र 4386/स्व.भा.मि.ग्रा./जि.पं./2019 दुर्ग, 07 जनवरी, 2019।

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से सी.एल.टी.एस. सहजकर्ताओं/स्वभाविक नेताओं को राशि रू. 200/- प्रतिदिन की दर से 01 गांव में अधिकतम 03 भ्रमण हेतु प्रदान किये जाने के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है। स्पष्ट किया जाता है कि ग्राम स्तर पर सभी प्रचार-प्रसार गतिविधियों हेतु राज्य स्तर से स्वच्छाग्रही स्व-सहायता समूह का संलग्न किये जाने के संबंध में निर्देश प्रसारित किए गए हैं।


अतः ग्राम स्तर पर सभी प्रचार-प्रसार गतिविधियों हेतु स्व-सहायता समूह को ही संलग्न किया जाना है। तथापि यदि जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) समिति आवश्यक समझे तो जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की बैठक में निर्णय पारित कर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 389 दिनांक 14 मार्च, 2016 के अनुसार कार्यवाही कर सकती है।


(नरेन्द्र कुमार दुग्गा)
मिशन संचालक

राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
रायपुर, दिनांक 22/03/2019

पृ. क्र.3110/मि.सं./रा.स्व.भा.मि/पं.ग्रा.वि.वि/2019,
प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


मिशन संचालक

राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

अब नहीं तो कब ?